17

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 642–तीन/2007–विरूद्व आदेश दिनांक 19 फरवारी, 2007–पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 98/2006–07 विविध

मदन सिंह पुत्र घासीराम दॉगी
ग्राम घाट बमूरिया तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश । ——आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर — अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

(अनावेदक के पैनल लायर श्रीमती नीना [illegible])

आदेश

(आज दिनांक 4 – 10–2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 98/2006–07 विविध में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2007 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रचलित अपील प्रकरण कमांक 110/1981–82 पक्षकार एंव उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से आदेश दिनॉक 10–9–1991 को अदम पैरबी में निरस्त हुआ। अपील प्रकरण कमांक 110/1981–82

के पुर्नस्थापन हेतु आवेदक की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) का आवेदन अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण कमांक 98/2006–07 विविध पर पॅजीबद्व हुआ तथा आवेदक के अभिभाषक की सुनवाई कर आदेश दिनॉक 19–2–2007 पारित किया गया तथा पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त न्यायालय का प्रकरण कमांक 110/1981–82 अपील आदेश दिनांक 10–9–1991 को अदम पैरबी में निरस्त हुआ है जिसमें अभिभाषक नियुक्त थे और नियुक्त अभिभाषक ने अदम पैरबी में प्रकरण निरस्त होने की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं दी। अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने इस पर ध्यान न देने में भूल की है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त को अपील प्रकरण कमांक 110/81–82 मेरिट पर सुने जाने के निर्देश दिये जावें।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि यह पक्षकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रकरण के सम्बन्ध में अभिभाषक से तथा न्यायालय में उपस्थित होकर अद्यतन स्थिति लेवे, किन्तु अपीलांट ने दिनांक 10–9–1991 के कई वर्षो तक नियुक्त अभिभाषक से एंव न्यायालय में आकर जानकारी नहीं ली। अब दूसरे पक्ष को उत्पन्न हो गये अधिकारों से बंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 110/1981–82 अपील हुये अदम पैरबी आदेश दिनांक 10–9–1991 के विरूद्व प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत आवेदन दिनांक 6 जनवरी 2007 को प्रस्तुत किया गया है जो लगभग 15 वर्ष से अधिक अवधि वाद है। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 में व्यवस्था दी गई है कि अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक

पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्णदास बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन ग्वालियर 1997 (2) म0प्र0वी0नो0 111 **M.P.** का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा किए जाने के संबंध में समुचित कारण होना नहीं पाया गया। प्रत्येक दिवस के विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया। विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता। ओरिएंटल अरोपा केमिकल इंड्रस्टीज लिमि0 बनाम गुजरात इंडस्ट्रियल डवलपमेंट 2010 (3) म0प्र0लॉ ज0 506 सर्वोच्य न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि अपील प्रस्तुति में 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब था। उच्च न्यायालय ने इस अवधारणा पर कि विलम्ब क्षमा करने के आवेदन में अंतर्निहित अभिकथनों के खंडन हेतु उत्तर फाइल नहीं किया गया है विलम्ब किया था। अधिनियम की धारा 5 में विवके का प्रयोग करने के लिये न्यायिक तौर पर स्वीकृत पैरामीटर को अनदेखा किया था। परिणामतः आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुये विलम्ब क्षमा करने का आवेदन निरस्त किया गया। विचाराधीन प्रकरण में 15 वर्ष विलम्ब से प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु दिया गया आवेदन अति–विलम्ब से है जिसे अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 98/2006–07 विविध में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2007 से ठीक ही निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2007 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 98/2006–07 विविध में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर